

Order Sheet [Contd]

Case No 301/2017 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
30-08-2017	<p>आवेदक/अभियुक्त जसरथ सिंह की ओर से श्री के.पी.राठौर अधिवक्ता।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर।</p> <p>पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड से अप0क0 202/17 धारा 306, 498ए भा.द.वि. की केश डायरी प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत।</p> <p>प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त जसरथ सिंह की ओर से अधिवक्ता श्री राठौर द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 पेश कर निवेदन किया है कि आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना मौ द्वारा फरियादी की झूठी रिपोर्ट के आधार पर झूठा अपराध पंजीबद्ध कर लिया है, जबकि उक्त अपराध से आवेदक का कोई संबंध सरोकार नहीं है। आवेदक न्यायिक अभिरक्षा में है और अधिक समय तक निरोध में रहा तो उसके परिवार के सामने भरणपोषण की समस्या उत्पन्न हो जावेगी, क्योंकि वह अपने परिवार का कमाने वाला एकमात्र सदस्य है। आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पालन करने हेतु तैयार है। अतः उसे उचित जमानत मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया गया।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से इन तर्कों पर अत्यधिक बल दिया है कि आवेदक/अभियुक्त का विवाह मृतिका के साथ कई वर्षों पूर्व हुआ था एवं मृतिका के 13-14 साल के बच्चे भी है। मृतिका के अवैध संबंध किसी अन्य पुरुष से थे, इसी कारण पारिवारिक विवाद हुआ था, जबकि आत्महत्या के दुष्प्रेरण जैसी कोई बात नहीं है।</p> <p>प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि मृतिका के पुत्र के कथनों में यह आया है कि मृतिका के मातवर कुशवाह के यहाँ आना जाना था और उसके पिता उसकी माँ को इस बात से मना करते थे। साथ ही मृतिका मातवर से फोन पर बात करती थी जिसे उसके पिता ने देख लिया था और इसी बात से मृतिका एवं आवेदक/अभियुक्त के मध्य विवाद हुआ था और आवेदक/अभियुक्त ने थप्पड़ों से मृतिका की मारपीट कर दी थी। थाना प्रभारी मौ द्वारा एस.डी.ओ.पी. गोहद को जाँच पश्चात् दिए गए</p>	

प्रतिवेदन में मृतिका के मातवर कुशवाह से अवैध संबंध होने एवं पति द्वारा डांटने एवं मारपीट करने तथा मृतिका ने बदनामी की बजह से फाँसी लगाने संबंधी तथ्य पाए गए हैं।

वास्तविकता क्या है, यह गुणदोष का विषय है, किन्तु प्रकरण में उपलब्ध रिकार्ड, परिस्थिति को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 स्वीकार योग्य प्रतीत होने से स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि आवेदक/अभियुक्त की ओर से संबंधित क्षेत्राधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट की संतुष्टि योग्य 30000/- रूपए की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र निम्न शर्तों के अधीन पेश हो तो उसे जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है।

शर्त:-

1. आवेदक/अभियुक्त प्रत्येक तिथि दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहेगा।
2. साक्ष्य को प्रभावित प्रलोभित नहीं करेगा।
आदेश की प्रति संबंधित क्षेत्राधिकारित रखने वाले न्यायालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजी जावे।
आदेश की प्रति सहित केश डायरी संबंधित थाने को वापस की जावे।
प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
ए0एस0जे0 गोहद